

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

क्रमांक :सखअ/समा/बजरी/2022-2023/ 699
विज्ञप्ति

दिनांक:- 3/6/22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सवाई माधोपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त खनिज बजरी(जैसी हे उसी स्थिति में) के स्टॉक की नीलामी दिनांक 23.06.2022 को प्रातः 12.00 बजे कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास के पीछे, जटवाड़ा खुर्द, सवाई माधोपुर परिसर में की जावेंगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व एकमुश्त बयाना एवं प्रतिभूति राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं।

(न्यूनतम आरक्षित दर रु. 800/- प्रति टन)


थाना	मानटाउन थाना	खानजना डूंगर	कोतवाली सवाई माधोपुर	मित्रपुरा	भाडोती	मलारना डूंगर	बौली
बजरी की अनुमानित कुल मात्रा 6730 टन	90	150	190	300	2000	2500	1500

कुल बजरी मात्रा 6730 टन

प्रतिभूति राशि/अमानता राशि /- 269200 रुपये

बयाना राशि /- 50000 रुपये

नोट:- उक्त नीलामी से संबंधित शर्तों का अवलोकन विभागीय वेबसाईट mines.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है एवं खनिज बजरी के स्टॉक के संबंध में जानकारी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की कार्यवाही संबंधित दिनांक को पूर्ण न होने पर आगामी कार्यदिवस में भी जारी रहेगी।



(गौरव मीणा)


सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

खनिज बजरी नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व बयाना राशि 50000/- रुपये एवं अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. सहायक खनि अभियन्ता सवाई माधोपुर के पक्ष में कार्यालय में जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस में विक्रय मूल्य की समस्त राशि के डी.डी. के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. संबन्धित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व किसी भी दिवस में स्टॉक स्थल पर जाकर किया जा सकता है।
6. जब्तशुदा बजरी जहाँ है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सफल बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
7. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही(लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
8. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.सी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होंगे।
9. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबन्धित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सवाई माधोपुर होगा।
10. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस अनुमत होगा।

912

11. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
12. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को What's app पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
13. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को What's app पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
14. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी कोसीधे ही उपयुक्त स्थान पर परिवहन करेगा।
15. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
16. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
18. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैनुअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
19. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
20. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।


(गौरव मीणा)
सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर